अध्याय-9
नगरीय निकाय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं

- स्वीकृत प्रतिदर्श
- नगरीय निकायों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं
- नगर पंचायतों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं
- नगर परिषद में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं
- नगर निगम में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं

9.1 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात् राज्य के नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक क्रियाकलापों का विस्तार हुआ है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की तरफ विभिन्न कारणों से प्रवासन हुआ है और इससे नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

9.2 नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों की हैं, इसलिए नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली मूलभूत सेवाओं की मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है, ताकि नगरीय निकायों को इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता तथा निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध योजना निर्मित की जा सके।

9.3 इस अध्याय में उपरोक्त संदर्भों के साथ नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का अध्ययन किया गया है।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत प्रतिदर्श आकार

9.4 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं तथा वित्तीय स्थिति के अध्ययन के लिए 170 नगरीय निकायों में 82 नगरीय निकायों से प्राप्त आंकड़ो को स्वीकृत किया है।

9.5 नगरीय निकायों से जानकारियाँ प्रश्नावली के माध्यम से ऑनलाइन मांगी गई थी। इन निकायों से प्राप्त आंकड़ों की शुद्धता की जांच की गई तथा 82 नगरीय निकायों से प्राप्त जानकारियों को प्रतिदर्श आकार के रूप में अध्ययन हेतु स्वीकृत किया गया है।

9.6 नगर पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं तथा वित्तीय स्थिति के अध्ययन हेतु 112 नगर पंचायतों में से 49 नगर पंचायत, प्रतिदर्श आकार के रूप में स्वीकृत किये गये, जो नगर पंचायतों की कुल संख्या के 43.7% है, तथा प्रतिदर्श आकार के नगर पंचायतों में प्रदेश की सभी नगर पंचायतों में निवास करने वाली जनसंख्या का 40.5% है।

9.7 नगर पालिकाओं में मूलभूत सुविधाओं तथा वित्तीय स्थिति के अध्ययन हेतु प्रदेश में 44 नगर पालिकाओं में से 26, जो नगर पालिकाओं की कुल संख्या का 59% है, नगर पालिकाएं प्रतिदर्श आकार के रूप मे स्वीकृत की गई हैं। प्रतिदर्श आकार की नगर पालिकाओं में सभी नगर पालिकाओं की जनसंख्या का 53.6% निवास करती है।

9.8 नगर निगमों के अध्ययन हेतु प्रदेश के 14 नगर निगमों में, 7 नगर निगम प्रतिदर्श आकार के रूप में स्वीकृत किये गये हैं। प्रतिदर्श आकार की नगर निगम में प्रदेश की सभी नगर निगमों की 60.9% जनसंख्या निवास करती है।

9.9 नगरीय निकायों के अध्ययन हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत प्रतिदर्श आकार बड़ा है, तथा इनके अंतर्गत निकायों की कुल जनसंख्या के लगभग आधी जनसंख्या तक मूलभूत सुविधाओं की पहुँच का अध्ययन किया गया है।

9.10 प्रश्नावली के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने में भी आयोग को कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त जानकारी त्रुटिपूर्ण तथा आधी–अधूरी थी, त्रुटि सुधार हेतु अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद प्राप्त जानकारियाँ, अपूर्ण थी, खास तौर पर नगर निगमों से प्राप्त जानकारियों में त्रुटियाँ,

अधिक पायी गयीं। इसलिए नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं तथा वित्तीय स्थिति का अध्ययन अत्यधिक श्रम साध्य हो गया।

नगरीय निकायों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ

9.11 जैसा कि अध्याय 02 के बिंदु 2.19 में आयोग का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है कि हमारे मूल विमर्श का केन्द्र स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही मूलभूत सुविधाओं पर होगी। इसके संदर्भ में इस अध्याय में मूलभूत नागरिक सुविधायें जैसे जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज प्रबंध, आदि सुविधा जो नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही का विश्लेषण किया गया है।

9.12 यह विश्लेषण शहरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, वर्ष 2015–16, छत्तीसगढ़ डाटा बुक निष्पादन रिपोर्ट, नगरीय प्रशासन एवं कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी तथा आयोग द्वारा संग्रहित समंक के आधार पर किया गया है।

जल आपूर्ति सेवा

9.13 प्रदेश के निकायों द्वारा अपने नागरिकों के घरों में वर्ष 2010–11 में 24.26% जल प्रदाय किया जा रहा था जो बढ़ते हुए वर्ष 2015–16 में 38.19%, 2019–20 में 42.83% तथा 2021–22 में 56.31% हो गया है। इस प्रकार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर जल उपलब्ध कराने की मात्रा के विरूद्ध वर्तमान में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 93.04 लीटर जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल के गुणवत्ता में भी निरंतर सुधार हुआ है।

तालिका 9.1
जल आपूर्ति सेवा (नगरीय निकाय)

क्र.	संकेतक का नाम	स्तरांक मूल्य	वर्षवार उपलब्धियाँ			
			2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
1.1	जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार	100.00%	24.26	38.91	42.83	56.31
1.2	प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता	135 Ipcd	46.16	73.58	81.64	93.04
1.3	जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार	100.00%	0.89	0.21	3.74	34.20
1.4	गैर राजस्व जल की मात्रा	20.00%	65.31	50.98	36.74	-
1.5	जल प्रदाय की निरंतरता	24 hours	3.03	2.91	3.07	-
1.6	उपभोक्ताओं के शिकायतों की निराकरण की क्षमता	80.00%	73.85	78.59	86.54	-
1.7	प्रदाय जल की गुणवत्ता	100.00%	61.25	77.48	94.19	-
1.8	जल प्रदाय में लागत वसूली	100.00%	25.85	44.44	31.13	32.53

* Ministry of Urban Development Government of India, Service Levels in Urban Water and Sanitation Sector Status Report (First Edition, 2010-2011).

\# Performance Assessment Report Urban Water and Sanitation Sector, Chhattisgarh Databook 2015-2016.

– नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार

\+ आयोग द्वारा संग्रहित समंक (2021–22)

9.14 प्रदायित जल की लागत वसूली तथा घरों में मीटरीकरण 100% निर्धारित है, जिसके विरूद्ध क्रमशः 32.53% तथा 34.02: की उपलब्धियाँ है। जो लगभग एक तिहाई है। जल गुणवत्ता तथा जल प्रदाय की निरंतरता, गैर राजस्व जल की मात्रा, आदि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। तालिका 9.1 में उक्त तथ्यों को देखा जा सकता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

9.15 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत संग्रहण, पृथ्थकरण, पुनर्उपयोग, वैज्ञानिक निपटान तथा लागत वसूली एक विशिष्ट एवं चुनौती भरा कार्य है। प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है।

9.16 प्रतिदर्श समंक के अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्र में लगभग 14 मिट्रिक टन ठोस अपशिष्ट निकल रहा है, जिसमें से 99% का संग्रहण निकायों द्वारा किया जा रहा है। 67% सड़कों का नियमित सफाई भी की जा रही है।

9.17 प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सराहनीय कार्य किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्धारित मापदंड के विभिन्न बिंदुओं में से चार मुख्य बिंदुओं पर वर्ष 2021–22 तक 90% से अधिक की उपलब्धियाँ रही हैं। अपशिष्टों का वैज्ञानिक निपटान तथा लागत वसूली पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विभिन्न वर्षों के संकलित आंकड़ों द्वारा नगरीय निकायों के इस क्षेत्र में किये गये कार्य की प्रगति नीचे तालिका 9.2 में देखा जा सकता है।

तालिका 9.2
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (नगरीय निकाय)

क्र.	संकेतक का नाम	स्तरांक मूल्य	वर्षवार उपलब्धियाँ			
			2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
3.1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का विस्तार	100.00%	11.17	29.82	96.26	93.44
3.2	ठोस अपशिष्ट की संकलन क्षमता	100.00%	77.49	88.26	96.26	99.28
3.3	शहरी ठोस अपशिष्टका पृथक्करण	100.00%	0.16	4.14	96.26	93.85
3.4	शहरी ठोस अपशिष्ट का पुनर्उपयोग	80.00%	0.12	2.60	96.26	91.55
3.5	शहरी ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान	100.00%	0.00	0.01	98.64	-
3.6	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लागत वसूली	100.00%	12.08	27.54	42.89	34.18
3.7	उपभोक्ताओं के शिकायतों की निराकरण की क्षमता	80.00%	71.42	79.12	89.36	-

9.18 किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत लागत वसूली की, उस व्यवस्था को निरंतरता प्रदान करने में मुख्य भूमिका रहती है। यह व्यवस्था को संचालित करने तथा निरंतरता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कार्य करने की बहुत संभावना है। नगरीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लागत वसूली लगभग एक तिहाई है।

सीवरेज प्रबंधन

9.19 प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति में, घरों में शौचालय की उपलब्धता शत्–प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 में जहाँ 70.18 घरों में शौचालय उपलब्ध था, वह बढ़ते हुए क्रमशः 2015–16 में 74.22%, 2019–20 में 96.26%, तथा 2021–22 में 100% हो गया है।

9.20 लगभग 43% नगर निगम, 4% नगर पालिका तथा 2% नगर पंचायत क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट स्थापित है, कुल नगरीय निकाय में इसका प्रतिशत मात्र 7.3 है।

9.21 सीवरेज प्रबंध के क्षेत्र में घरों में शौचालय की उपलब्धता को छोड़कर शेष बिन्दुओं पर नगरीय निकायों की प्रगति निराशाजनक रही है। मल निर्गम नेटवर्क एवं संग्रहण क्षमता, प्रशोधन क्षमता, आदि क्षेत्रों में कोई उल्लेखनीय प्रगति राज्य निर्माण के बाद नहीं हो पायी है, जिस पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। सीवरेज प्रबंध में नगरीय क्षेत्र की उपलब्धियों की जानकारी नीचे तालिका 9.3 में दी गई है।

तालिका 9.3
सीवरेज प्रबंधन(नगरीय निकाय)

क्र.	संकेतक का नाम	स्तरांक मूल्य	वर्षवार उपलब्धियां			
			2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
2.1	शौचालयों की उपलब्धता	100.00%	70.18	74.22	96.26	100
2.2	मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता	100.00%	2.07	0.13	0.19	-
2.3	मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता	100.00%	0.00	0.12	0.31	-
2.4	मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता	100.00%	0.00	0.71	4.26	-
2.5	प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता	100.00%	0.00	2.56	2.38	-
2.6	प्रशोधित मल जल के पुनर्उपयोग की मात्रा	20.00%	0.00	0.00	0.00	-
2.7	सीवरेज में लागत वसूली	100.00%	0.00	11.89	2.99	-
2.8	उपभोक्ताओं के शिकायतों की निराकरण की क्षमता	80.00%	11.13	75.89	88.25	-
2.9	सीवरेज में लागत वसूली की क्षमता	90.00%	0.00	3.16	0.00	-

सड़कों एवं नाली की उपलब्धता

9.22 प्रदेश में नगरीय निकायों में कुल सड़कों की लम्बाई 5469 कि.मी. है, जिसमें से 17% सड़कें कच्ची है। 76.65% सड़कों में नाली की सुविधा उपलब्ध है। नगरीय निकायों के 72.09% जनसंख्या को तथा 69% क्षेत्र में नाली की सुविधा उपलब्ध है।

प्रकाश सुविधा

9.23 प्रकाश सुविधा वाले सड़कों की लम्बाई 78.61% है। नगरीय निकाय क्षेत्रों के 78.61% सड़कों में और 74.83% सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश की सुविधा उपलब्ध है।

अन्य सुविधाएं

9.24 लगभग 24% नगरीय निकायों में सी.सी.टी.वी. स्थापित है, लगभग 8% जनसंख्या को यह सुविधा उपलब्ध है।

9.25 84% नगरीय निकायों में पशुचिकित्सालय तथा 95% निकायों में कांजी हाऊस है।

9.26 जनगणना 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या का 24.45% स्लम बस्तियों में निवास करती थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 22.46% हो गया है।

9.27 नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही मूलभूत सेवाओं के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में लगभग सभी संकेतकों पर कार्य किया गया है। परंतु अन्य सेवाओं में यथा जल आपूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, सड़क एवं नाली, प्रकाश सुविधा आदि हेतु निर्धारित सेवा आपूर्ति और सेवा गुणवत्ता मानक संकेतकों अथवा स्तरांकों;ठमदबीउंताद्ध और वर्तमान स्थिति में उपलब्धता के बीच पूर्ति अंतराल है, इसका विश्लेषण संबंधित शीर्षकों में किया गया है, अतः आयोग की अनुशंसा है कि **"मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के लिए निर्धारित संकेतकों अथवा स्तरांकों में विद्यमान पूर्ति अन्तराल के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर कार्य किए जायें", इन अन्तरालों के लिए वित्तीय व्यवस्था की अनुशंसाएँ अध्याय 12 में की गई हैं।**

नगर पंचायतों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ

प्रदेश में नगरीय निकायों में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 59.39 लाख जनसंख्या निवास करती है। इसमें से 17 प्रतिशत जनसंख्या प्रदेश के 112 नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करती है। नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मूलभूत सुविधाओं का बिन्दुवार विश्लेषण निम्नानुसार है।

जल आपूर्ति सेवा

9.28 प्रदेश के नगर पंचायत क्षेत्रों में नल जल सुविधा वाले घरों का औसत प्रतिशत 33.72 है। नगर पंचायत अर्जुन्दा जिला–बालोद तथा साजा जिला–बेमेतरा में यह 80% से अधिक है, जबकि नगर पंचायत विश्रामपुर जिला–सुरजपुर तथा खोंगापानी जिला–कोरिया में यह सुविधा शून्य प्रतिशत है।

9.29 सार्वजनिक नल से जल सुविधा प्राप्त करने वाले घर 8.92 प्रतिशत है। सार्वजनिक हैंडपम्प से 23.03 प्रतिशत, स्वयं के साधन से 21.09 प्रतिशत तथा शेष अन्य साधनों से जल की सुविधा उपलब्ध है।

9.30 प्रदेश स्तर पर नगर पंचायतों द्वारा जल आपूर्ति व्यय के विरूद्ध, जल कर वसूली का औसत प्रतिशत 30.95 है। एक तिहाई नगर पंचायतों में जल आपूर्ति के विरूद्ध जल कर की वसूली शून्य प्रतिशत है।

9.31 नगर पंचायतों में मीटर लगे नल कनेक्शनों का प्रतिशत भी शून्य है। नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसत जल उपलब्धता 135 लीटर के विरूद्ध 83.94 लीटर है।

9.32 जल आपूर्ति हेतु निर्धारित स्तरांक के विरूद्ध नगर पंचायतों का प्रदर्शन तालिका 9.4 में देखा जा सकता है।

तालिका 9.4
जल आपूर्ति सेवा (नगर पंचायत)

क्र.	स्तरांक विवरण	स्तरांक मूल्य	2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
1	**जल आपूर्ति सेवाएं**					
1.1	जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार	100.00%	0.00	31.39	34.39	33.72
1.2	प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता	135 Ipcd	0.00	62.36	73.34	83.94
1.3	जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार	100.00%	0.00	0.14	0.00	0.00
1.4	गैर राजस्व जल कीमात्रा	20.00%	0.00	54.93	40.35	-
1.5	जल प्रदाय की निरंतरता	24 hours	0.00	2.63	2.96	-
1.6	उपभोक्ताओं के शिकायतों की निराकरण की क्षमता	80.00%	0.00	68.95	87.56	-
1.7	प्रदाय जल की गुणवत्ता	100.00%	0.00	66.48	94.86	-
1.8	जल प्रदाय में लागत वसूली	100.00%	0.00	39.43	31.68	30.95

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

9.33 प्रदेश के नगर पंचायत क्षेत्रों से औसत प्रतिदिन 1.55 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट निकल रहा है, जिसे शत् प्रतिशत संग्रहित किया जा रहा है।

तालिका 9.5
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (नगर पंचायत)

क्र.	स्तरांक विवरण	स्तरांक मूल्य	2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
3	**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन**					
3.1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार	100.00%	0.00	18.66	98.20	93.59
3.2	शहरी ठोस अपशिष्ट की संकलन क्षमता	100.00%	0.00	82.99	98.20	100
3.3	शहरी ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण	100.00%	0.00	0.00	98.20	83.89
3.4	शहरी ठोस अपशिष्ट का पुर्नउपयोग	80.00%	0.00	0.00	98.20	65.96
3.5	शहरी ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान	100.00%	0.00	0.00	98.20	-
3.6	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लागत वसूली	100.00%	0.00	25.76	54.28	31.80
3.7	उपभोक्ताओं के शिकायतों की निराकरण की क्षमता	80.00%	0.00	72.98	90.44	-

9.34 अधिकांश नगर पंचायत क्षेत्रों के अंतर्गत शत प्रतिशत क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था की जा चुकी है। प्रदेश स्तर पर नगर पंचायत क्षेत्रों में 93.6% क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था उपलब्ध है।

9.35 प्रदेश स्तर पर नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रतिदिन जितना ठोस अपशिष्ट संग्रहित होता है, उसका 83.89% का पृथक्करण तथा 65.96% हिस्सा पुनः चक्रीकरण किया जा रहा है।

9.36 प्रदेश स्तर पर नगर पंचायत क्षेत्रों में निर्मित सड़कों की कुल लंबाई में 34.2% सड़कों की नियमित सफाई हो रही है।

9.37 ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु नगर पंचायत क्षेत्रों द्वारा जो व्यय किया जा रहा है, उसका मात्र 31.8% ही नगर पंचायतें वसूल कर पा रही हैं।

सीवरेज प्रबंधन

9.38 प्रदेश के नगर पंचायत क्षेत्रों में निजी शौचालय तक पहुँच वाली जनसंख्या का औसत, शत प्रतिशत है, जबकि सार्वजनिक शौचालय तक पहुंच वाली जनसंख्या का औसत 22.42% है।

9.39 प्रदेश के नगर पंचायत क्षेत्रों में भूमिगत जल तथा मल निकासी की व्यवस्था निर्मित नहीं हो पायी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट का विकास भी नहीं हो पाया है। इस हेतु पहल करने की आवश्यकता है।

9.40 सीवरेज प्रबंधन में शौचालय की उपलब्धता के अतिरिक्त मल निर्गम नेटवर्क, मलजल की प्रशोधन, प्रशोधित जल की गुणवत्ता तथा उसका पुनर्उपयोग तथा सीवरेज की लागत वसूली के लिए मापदंड निर्धारित है, जिस पर प्रदेश के नगर पंचायत क्षेत्रों में सुनियोजित कार्य करने की आवश्यकता है। सीवरेज प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं पर नगर पंचायतों का प्रदर्शन तालिका 9.6 में देखा जा सकता है।

तालिका 9.6
सीवरेज प्रबंधन (नगर पंचायत)

क्र.	स्तरांक विवरण	स्तरांक मूल्य	2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
2	मल जल प्रबंधन					
2.1	शौचालयों की उपलब्धता	100.00%	0.00	63.38	98.20	100
2.2	मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता	100.00%	0.00	0.00	0.00	-
2.3	मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता	100.00%	0.00	0.00	0.00	-
2.4	मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता	100.00%	0.00	0.00	0.00	-
2.5	प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता	100.00%	0.00	0.00	0.00	-
2.6	प्रशोधित मल जल के पुनर्उपयोग की मात्रा	20.00%	0.00	0.00	0.00	-
2.7	सीवरेज में लागत वसूली	100.00%	0.00	9.61	3.54	-
2.8	उपभोक्ताओं के शिकायतों की निराकरण की क्षमता	80.00%	0.00	69.29	89.38	-

सड़क तथा प्रकाश सुविधा

9.41 प्रदेश स्तर पर नगर पंचायत क्षेत्रों में उपलब्ध सड़कों में लगभग 83.2% सड़कें पक्की सड़कें हैं, जबकि 16.8:% कच्ची सड़कें हैं।

9.42 नगर पंचायत क्षेत्रों में उपलब्ध–कच्ची तथा पक्की सड़कों में लगभग 54.7%सड़कें ऐसी हैं जिनके किनारे नालियाँ निर्मित हैं। 69% क्षेत्र तथा 72.5% जनसंख्या को यह सुविधा उपलब्ध है।

9.43 प्रदेश में नगर पंचायत क्षेत्रों में सड़कों के किनारे प्रकाश की सुविधा संतोषजनक है। नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रकाश सुविधा वाले सड़कों की लंबाई लगभग 87% है तथा 80% सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश की सुविधा है।

नगर पंचायतों में अन्य सुविधाएँ

9.44 प्रदेश में 14.3% नगर पंचायतों में सीसीटीवी स्थापित है, नगर पंचायतों में स्थापित सीसीटीवी से इन क्षेत्रों की 5.96% जनसंख्या की सुरक्षा निगरानी व्यापित (कवर्ड) है।

9.45 प्रदेश कें 83.7% नगर पंचायतों में पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध है तथा शत प्रतिशत नगर पंचायतों में कांजीहाऊस निर्मित है।

9.46 प्रदेश के नगर पंचायत क्षेत्रों में जनगणना 2011 के अनूसार 22,327 जनसंख्या, अस्वच्छकर (स्लम) बस्तियों में निवास करती है, जो इन क्षेत्रों में कुल जनसंख्या की 5.5% है।

नगर पालिका परिशदों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ

9.47 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिका परिषदों में शहरी जनसंख्या का 18.70 प्रतिशत निवास करती है। नगर पालिका क्षेत्रों में 12.8% जनसंख्या अस्वच्छकर बस्तियों में निवास करती है।

जल आपूर्ति सेवा

9.48 प्रदेश स्तर पर नगरपालिकाओं मे नल जल कनेक्शन वाले घर 45.04: है। आयोग द्वारा 26 नगरपालिकाओं से एकत्र आंकडों के अनुसार डोंगरगढ़ (100%), खैरागढ़ (85.2%) मुंगेली (81.03%), बालोद (77.5%) कवर्धा (72. 5%) नगरपालिका में घरों में नल जल कनेक्शन का प्रतिशत उच्च है, जबकि दीपका (5.7%), सक्ती (6.1%), बलरामपुर (6.1%), दल्ली राजहरा (9.97%) नगर पालिकाओं में घरों में नल जल कनेक्शन 10% से भी कम है। अध्ययन के अनुसार लगभग 50% नगर पालिकाओं में नल जल कनेक्शन वाले घर 40% से अधिक हैं।

9.49 नगरपालिकाओं में नलों पर मीटर लगे घर शून्य प्रतिशत हैं। नगरपालिकाओं द्वारा जलापूर्ति पर जितना व्यय किया जाता है उसके विरुद्ध जल कर की वसूली से मात्र एकतिहाई (32.9%) हिस्से की पूर्ति हो पाती है।

9.50 प्रदेश स्तर पर नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक नल से जल सुविधा प्राप्त करने वाले घर लगभग 11.2% है। नगर पालिका क्षेत्रों में लगभग 64.4% जनसंख्या को ही नलों द्वारा जल सुविधा प्राप्त हो रही है। शेष स्वयं के संसाधन अथवा सार्वजनिक हैडपंप या अन्य स्रोत से जल प्राप्त कर रहे हैं।

9.51 प्रदेश में नगरपालिका क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत जल उपलब्धता 97.6 लीटर है। नगर पालिका क्षेत्रों में औसत जल शुद्धिकरण की क्षमता 457.73 MLD है, जो कि आवश्यकता से बहुत कम है, परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति शोधित जल की उपलब्धता भी बहुत कम है।

9.52 अध्ययन के अनुसार प्रदेश स्तर पर लगभग 23% नगरपालिकों द्वारा जल आपूर्ति पर व्यय के विरूद्ध जल कर वसूली का औसत 50% से अधिक है। चांपा (100%), जामूल एवं डोंगरगढ़(65%) जल कर वसूली का औसत प्रतिशत बेहतर है, वहीं दीपका, जशपुर, बीजापुर नगरपालिकाओ में जल कर वसूली का प्रतिशत नगण्य है।

9.53 जल आपूर्ति सेवा हेतु निर्धारित स्तरांक के आधार पर 10 वर्षो की प्रगति निम्नानुसार है :–

तालिका 9.7
जल आपूर्ति सेवा (नगर पालिका)

क्र.	स्तरांक विवरण	स्तरांक मूल्य	2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
1	जल आपूर्ति सेवाएं					
1.1	जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार	100.00%	25.20	38.31	41.61	45.04
1.2	प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता	135 Ipcd	43.65	73.90	77.57	97.62
1.3	जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार	100.00%	0.00	0.02	0.00	0.00
1.4	गैर राजस्व जल की मात्रा	20.00%	65.27	51.14	34.02	-
1.5	जल प्रदाय की निरंतरता	24 hours	2.83	2.85	2.99	-
1.6	उपभोक्ताओं के शिकायतों की निराकरण की क्षमता	80.00%	76.88	79.38	89.50	-
1.7	प्रदाय जल की गुणवत्ता	100.00%	40.00	77.18	95.86	-
1.8	जल प्रदाय लागत वसूली	100.00%	21.42	38.33	29.36	32.89

सीवरेज प्रबंधन

9.54 प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्रों में निजी शौचालय तक पहुंच वाली जनसंख्या का औसत 84.9% है, जबकि सार्वजनिक शौचालय तक पहुँच वाली जनसंख्या का औसत 20.4% है,

9.55 प्रदेश के नगर पालिका क्षेत्रों में भूमिगत जल/मल निकासी की व्यवस्था निर्मित नहीं हो पायी है, तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास भी नहीं हो पाया है, मात्र कवर्धा नगरपालिका में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है।

9.56 प्रदेश के नगर पालिकाओं में शौचालय के उपलब्धता के अतिरिक्त सभी बिंदुओं में प्रगति निराशाजनक है, तालिका 9.8 में प्रगति देखा जा सकता है।

तालिका 9.8
सीवरेज प्रबंधन (नगर पालिका)

क्र.	स्तरांक विवरण	स्तरांक मूल्य	2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
2	मल जल प्रबंधन					
2.1	शौचालयों की उपलब्धता	100.00%	67.69	74.29	97.73	84.93
2.2	मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता	100.00%	0.83	0.00	0.00	-
2.3	मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता	100.00%	0.00	0.00	0.00	-
2.4	मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता	100.00%	0.00	0.00	0.00	-
2.5	प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता	100.00%	0.00	0.00	0.00	-
2.6	प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा	20.00%	0.00	0.00	0.00	-
2.7	सीवरेज में लागत वसूली	100.00%	0.00	13.43	1.86	-
2.8	उपभोक्ताओं के शिकायतों की निराकरण की क्षमता	80.00%	2.63	74.90	91.36	-

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

9.57 नगर पालिका क्षेत्रों में प्रतिदिन औसत 4.37 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट निकल रही है, जिसमें से 96% संग्रहित की जा रही है।

9.58 प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्रों में 92.5% क्षेत्रों मे अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था निर्मित की जा चुकी है। अधिकांश नगर पालिका क्षेत्रों के अंतर्गत शत्–प्रतिशत क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्राहण की व्यवस्था है। प्रदेश स्तर पर नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट संग्रहण की कुल मात्रा से पृथकीकरण की मात्रा 95.8%है।

9.59 प्रदेश स्तर पर नगर पालिका क्षेत्रों में प्रतिदिन जितना ठोस अपशिष्ट संग्रहित होता है, उसका 58.4% हिस्सा पुनः चक्रीकरण के अंतर्गत उपयोग किया जा रहा है।

9.60 प्रदेश स्तर पर नगरपालिका क्षेत्रों में निर्मित सड़कों की कुल लंबाई में 37.1% सड़कों की नियमित सफाई हो रही हैं।

9.61 ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु नगर पालिका क्षेत्रों द्धारा जो व्यय किया जा रहा है, उसका मात्र 44% ही नगरपालिकाएँ वसूल कर पा रही है।

तालिका 9.9
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (नगर पालिका)

क्र.	स्तरांक विवरण	स्तरांक मूल्य	2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन					
3.1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार	100.00%	1.80	27.02	97.73	92.50
3.2	शहरी ठोस अपशिष्ट की संकलन क्षमता	100.00%	75.87	87.83	97.73	95.85
3.3	शहरी ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण	100.00%	0.00	0.85	97.73	93.45
3.4	शहरी ठोस अपशिष्ट का पुनर्उपयोग	80.00%	0.00	1.44	97.73	58.37
3.5	शहरी ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान	100.00%	0.00	0.00	97.73	-
3.6	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लागत वसूली	100.00%	20.25	30.26	42.05	44.01
3.7	उपभोक्ताओं के शिकायतों की निराकरण की क्षमता	80.00%	75.03	75.80	92.70	-

सड़कों की उपलब्धता तथा प्रकाश सुविधा

9.62 प्रदेश स्तर पर नगरपालिका क्षेत्रों में उपलब्ध सड़कों में लगभग 77.3% उपलब्ध सड़कें पक्की सड़के हैं, जबकि 22.7% कच्ची सड़कें हैं।

9.63 नगर पालिका क्षेत्रों में उपलब्ध सड़कों में लगभग 31.8% सड़केंऐसी हैं, जिनके किनारे नालियॉ निर्मित है, इन क्षेत्रों में नगरपालिकाओं की लगभग 68.7% जनसंख्या निवास करती है।

9.64 प्रदेश में नगर पालिक क्षेत्रों में प्रकाश सुविधा वाले सड़कों की लंबाई लगभग 76.8% है, तथा लगभग 70% सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश की सुविधा है।

अन्य सुविधाएँ

9.65 प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्रों में जनगणना 2011 के अनुसार 12.8% जनसंख्या, अस्वच्छकर (स्लम) बस्तियों में निवास करती है।

9.66 प्रदेश में 42.3% नगरपालिका में सीसीटीवी स्थापित है, नगरपालिकाओं में स्थापित सीसीटीवी से इन क्षेत्रों की 11.55% जनसंख्या सुरक्षा निगरानी के अंतर्गत (कवर्ड) व्यापित है।

9.67 प्रदेश के 80.8% नगरपालिकाओं में पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध है, तथा 96.15% नगर पालिकाओं में कांजीहाऊस निर्मित हैं।

नगर निगमों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ

जलापूर्ति सेवायें

9.68 नगर निगमों में नल जल कनेक्शन वाले घरों की प्रतिशतता 63.02% है। रायगढ़ नगर निगम में शत प्रतिशत घर नल जल कनेक्शन युक्त हैं, भिलाई (80.9%), जगदलपुर (76.7%), दुर्ग (70.2%) नगर निगमों में नल जल कनेक्शन का स्तर बेहतर है।

9.69 नगर निगमों में नलों पर मीटर लगे घरों का प्रतिशत 72.9% है। रायपुर तथा भिलाई–चरोदा नगर निगम नलों पर मीटर लगे घरों का प्रतिशत, शत प्रतिशत है।

9.70 प्रदेश स्तर पर नगर निगमों में 87.9% जनसंख्या नलों द्वारा जल सुविधा प्राप्त कर रही है, शेष जनसंख्या को सार्वजनिक हैण्डपंप से और स्वयं के साधन से जल उपलब्ध हो रहा है।

9.71 प्रदेश में नगर निगम क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत जल उपलब्धता 139.7 लीटर है। नगर निगम क्षेत्रों में औसत जल शुद्धिकरण की क्षमता 608 MLD है, प्रति व्यक्ति शोधित जल की उपलब्धता नगर निगम क्षेत्रों में भी बहुत कम है।

9.72 नल कनेक्शनों में मीटरीकरण तथा जल लागत की वसूली 50% से कम है। तालिका 9.10 में वस्तुस्थिति देखा जा सकता है।

तालिका 9.10
जल आपूर्ति सेवा (नगर निगम)

क्र.	स्तरांक विवरण	स्तरांक मूल्य	2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
1	जल आपूर्ति सेवाएं					
1.1	जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार	100.00%	23.32	47.03	52.50	63.02
1.2	प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता	135 Ipcd	48.67	84.49	94.00	139.71
1.3	जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार	100.00%	1.78	0.48	11.21	43.43
1.4	गैर राजस्व जल की मात्रा	20.00%	65.35	46.87	35.86	-
1.5	जल प्रदाय की निरंतरता	24 hours	3.23	3.25	3.25	-
1.6	उपभोक्ताओं के शिकायतों की निराकरण की क्षमता	80.00%	70.82	87.43	82.57	-
1.7	प्रदाय जल की गुणवत्ता	100.00%	82.49	88.76	91.86	-
1.8	जल प्रदाय में लागत वसूली	100.00%	30.28	55.57	32.36	42.29

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

9.73 नगर निगम क्षेत्रों में रायपुर में 550 मीट्रिक टन तथा भिलाई में 180 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट निकलता है तथा शेष नगर निगम क्षेत्रों में औसत प्रतिदिन 44 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट निकलता है।

9.74 प्रदेश स्तर पर नगर निगम क्षेत्रों में 99.6% क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था निर्मित है, तथा प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट संग्रहण की कुल मात्रा से पृथकीकरण की मात्रा 94.7% है।

9.75 नगर निगम क्षेत्रों में प्रतिदिन जितना ठोस अपशिष्ट संग्रहित होता है उसका 97.5% हिस्सा पुनः चक्रीकरण किया जा रहा है।

9.76 नगर निगम क्षेत्रों में निर्मित सड़कों की कुल लंबाई में 91.6% सड़कों की नियमित सफाई हो रही है।

तालिका 9.11
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (नगर निगम)

क्र.	स्तरांक विवरण	स्तरांक मूल्य	2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
3	**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन**					
3.1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार	100.00%	20.54	43.77	92.86	95.86
3.2	शहरी ठोस अपशिष्ट की संकलन क्षमता	100.00%	79.10	93.96	92.86	99.58
3.3	शहरी ठोस अपशिष्ट का पृथ्थकरण	100.00%	0.32	11.58	92.86	94.70
3.4	शहरी ठोस अपशिष्ट का पुर्नउपयोग	80.00%	0.25	6.37	92.86	97.46
3.5	शहरी ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान	100.00%	0.00	0.03	100.00	-
3.6	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लागत वसूली	100.00%	3.92	26.61	32.36	14.29
3.7	उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता	80.00%	67.82	88.57	84.93	-

सीवरेज प्रबंधन

9.77 दुर्ग, भिलाई तथा रायपुर नगर निगम में भूमिगत जल/मल निकासी की व्यवस्था निर्मित है, तथा भिलाई, रायपुर, रायगढ़, जगदलपुर नगर निगमों में 218 MLD क्षमता की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉट स्थापित हैं।

9.78 नगर निगम क्षेत्रों में लगभग 85% जनसंख्या को निजी शौचालय की उपलब्धता है।

तालिका 9.12
सीवरेज प्रबंधन (नगर निगम)

क्र.	स्तरांक विवरण	स्तरांक मूल्य	2010-11 *	2015-16 #	2019-20 &	2021-22 $
2	**मल जल प्रबंधन**					
2.1	शौचालयों की उपलब्धता	100.00%	72.68	85.00	92.86	85
2.2	मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता	100.00%	3.32	0.40	0.57	-
2.3	मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता	100.00%	0.00	0.37	0.93	-
2.4	मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता	100.00%	0.00	2.12	12.79	-
2.5	प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता	100.00%	0.00	7.69	7.14	-
2.6	प्रशोधित मल जल के पुनर्उपयोग की मात्रा	20.00%	0.00	0.00	0.00	-
2.7	सीवरेज में लागत वसूली	100.00%	0.00	12.64	3.57	-
2.8	उपभोक्ताओं के शिकायतों की निराकरण की क्षमता	80.00%	19.63	83.49	84.00	-

नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों की उपलब्धता तथा प्रकाश सुविधा

9.79 प्रदेश स्तर पर नगर निगम क्षेत्रों में उपलब्ध सड़कों में लगभग 80% पक्की सड़कें हैं, तथा इनमें 87% से अधिक सड़कों के किनारे नालियाँ निर्मित है। 77% क्षेत्र तथा 81% जनसंख्या को नाली की सुविधा प्राप्त है।

9.80 नगर निगम क्षेत्रों में 80% सड़कों तथा 80% सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश सुविधा प्राप्त है।

9.81 निगम क्षेत्रों में निवास करने वाली 11.43% जनसंख्या सी.सी.टी.वी. सुविधा से कव्हर है।

9.82 शहरी स्थानीय निकायों का मुख्य दायित्व अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा भविष्य के लिए नगर विकास योजना तैयार करना है। ये दोनों कार्य तकनीकी तथा प्रबंधकीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तथा इस हेतु विशिष्ट कौशल एवं अद्यतन तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती हैं, **अतः आयोग की अनुशंसा है कि "स्थानीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित रूप से, प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए"।**